>

Title: Need to do away with the requirement of getting approval from the M/o Environment and Forests, Govt. of India for carrying out basic and non-commercial developmental works in states by amending the Forest Act, 1980.

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन, भारत सरकार और विशेष रूप से माननीय वन मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जब से वन अधिनियम, 1980 देश में लागू हुआ है तब से देश का विकास, विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में प्रदेशों के विकास में बहुत बाधा आ रही है। इसके कारण वहां सड़कें, विद्युत की लाइनें, पेयजल, सिंचाई योजनाएं, रेल लाइनें, पंचायत घर, विद्यालयों के भवन, डिसपैंसरीज एवं अस्पतालों के भवन आदि को बनाने में बहुत कठिनाई आ रही है।

महोदया, हमारा देश बहुत बड़ा है। बढ़ते शहरीकरण के बावजूद आज भी इस देश के 70 प्रतिशत लोग गांव में बसते हैं। विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों के प्रदेशों में गांव बहुत दूर-दूर फैले हुए हैं। उनमें कम घर होते हैं तथा वे भी काफी दूर-दूर होते हैं यानी दूर तक फैले होते हैं। हिमाचल प्रदेश एवं अन्य पहाड़ी राज्यों के बारे में यदि यह कहा जाये कि वहां गांव वनों के बीच में बसे हुए हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वहां की भौगोलिक संरचना ही ऐसी है। वहां तक सड़कें एवं विकास के अन्य कार्य पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती है। खास तौर से सेंक्चुअरी एरियाज के समीप बसे लोगों को सड़क सुविधाओं से महरूम रहना पड़ रहा है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मुताबिक वन क्षेत्र में किसी भी विकास गतिविधि के लिए केन्द्र सरकार यानी वन मंत्रालय से अनुमति लेनी पड़ती है।

महोदया, आप जानती हैं कि हिमाचल प्रदेश ऊंची-ऊंची हिम पर्वत शृंखलाओं में बसा है। उसके कई गांव 20 हजार फुट की ऊंचाई पर स्थित हैं। वहां के अनेक भाग छः-छः महीने बर्फ में दबे रहते हैं। हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बजट मिलने के बावजूद सड़कें बनाने एवं अन्य विकास कार्य हेतु भारत सरकार के वन मंत्रालय से अनुमति नहीं मिल पाती है, जिससे लंबे समय तक मामले लटके रहते हैं। इस समय हिमाचल प्रदेश की 88 छोटी-बड़ी सड़कें वन मंत्रालय से अनुमति नहीं मिलने के कारण लटकी हुई हैं। इन सड़कों के लिए धनराशि मंजूर हो चुकी है, लेकिन भारत सरकार के वन मंत्रालय से अनुमति नहीं मिलने के कारण सड़कें नहीं बन पा रही हैं।

महोदया, देश के दूर-दराज क्षेत्रों में बसे अनुसूचित जाति-जनजाति तथा आदिवासियों तक वन अधिनियम की बाध्यताओं के कारण न सड़कें पहुंच पा रही हैं, न विद्युत की लाइनें, न पेयजल व सिंचाई की योजनाओं का लाभ पहुंच पा रहा है। जनोपयोगी आधारभूत आवश्यकताएं भी उन तक इस अधिनियम के अड़ंगों के कारण नहीं पहुंच पा रही हैं। देश के दूर-दराज क्षेत्रों, पहाड़ों, कंदराओं और उत्तुंग शृंखलाओं में बसे लोगों तक देश की 62 वर्ष की आजादी के बावजूद आजादी की किरण अभी तक नहीं पहुंच पायी है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री वीरेन्द्र कश्यप : मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। इस कारण वहां के लोग आज भी अपने आपको गुलाम ही समझते हैं।

महोदया, मेरा आपसे आग्रह है कि वन अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत इस प्रकार के संशोधन तत्काल प्रभाव से किये जायें, जिनके अन्तर्गत जो गैर-वाणिज्यिक कार्य हैं यानी नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज हैं जैसे सड़क, रेल, पानी, सिंचाई, शिक्षा, डिसपैंसरीज व अस्पताल एवं पंचायतों के भवनों आदि को बनाने हेतु प्रदेश सरकारों और विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों के प्रदेशों में अनुमति लिए जाने की बाध्यता समाप्त कर दी जाये। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री वीरेन्द्र कश्यप : मेरा आग्रह है कि वन अधिनियम में संशोधन करते हुए ऐसे प्रावधान किए जाएं जिससे ऐसा विशेष परिस्थितियों में किया जा सके।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री वीरेन्द्र कश्यप : इसके साथ ही वन अधिनियम, 1980 के अंतर्गत केवल वहीं अनुमति लेना अनिवार्य की जाए जहां बड़े-बड़े बांध बनाने हों, बड़ी-बड़ी विस्तृत लाइनें बनानी हों या दूरसंचार के बड़े-बड़े संस्थान, भवन आदि बनाने हों। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री वीरेन्द्र कश्यप : यही मेरा आपसे आग्रह है।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): महोदया, श्री वीरेन्द्र कश्यप द्वारा शून्य प्रहर में उठाए गए विषय के साथ मैं स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।